राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद्
(राजीविका)

तृतीय तल – आरएफसी ब्लॉक, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
फोन नं.0141-2227011, 2227416, फैक्स -0141-2227723

क्रमांकः प.13 (3)आरजीएवीपी/2013/853-915 दिनांकः– 20.12.13

परिपत्र

विषयः– **उत्थान संस्थानों के क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।**

राजीविका द्वारा क्रियान्वित विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं में बनाये/को–ऑप्ट किये उत्थान संस्थानों की क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण के लिए मार्गदर्शी दिशा–निर्देश निम्नानुसार है–

1. उत्थान संस्थान के पांच प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जावेंगे जिनका विवरण इस प्रकार है –

प्रशिक्षण का क्रम	अवधि	संस्थान की उम्र	सम्मिलित विषय	प्रतिभागी
1	1 दिवस	0 माह	अवधारणा, गठन/निर्माण, प्रबन्धन, कार्य	सभी एसएचजी के सदस्य
2	1 दिवस	1 माह	नियम, कार्य समिति, उप–समितियां	सभी एसएचजी के प्रतिनिधि
3	1 दिवस	2–3 माह	लेखों का संधारण, वित्तीय प्रबन्धन	उत्थान संस्थान के पदाधिकारी एवं वित्त उपसमिति के सदस्य
4	1–2 दिवस	6–9 माह	सूक्ष्म ऋण योजना, मूल्यांकन, प्रायोरिटी प्लान, बैंक लिंकेज	प्रतिनिधि सभा
5	1 दिवस	9–12 माह	सामाजिक समावेश, समन्वय, पर्यावरण, क्षेत्रीय फैडरेशन	उत्थान संस्थान के पदाधिकारी एवं सामाजिक समावेश उपसमिति के सदस्य

2. प्रशिक्षण के दौरान संदर्भ व्यक्ति प्रशिक्षण सामग्री के साथ–साथ मुख्यालय से जारी नीतिगत निर्णयों, दिशा–निर्देशों, कम्युनिटी आपरेशनल मैन्यूअल, वित्तिय प्रावधानों आदि दस्वावेजो को भी ध्यान में रखेंगे।
3. प्रशिक्षण आयोजन में व्यय के लिए मुख्यालय के आदेश क्रमांक प. 13 (3) आरजीएवीपी/2013/7045–120, दिनांक 04.10.2013 के साथ भिजवाये इकाई लागत मान्य होंगे। परन्तु प्रशिक्षण में व्यय करने की सीमा रू. 1500/– प्रति उत्थान संस्थान से अधिक नही होगी।
4. संस्थानों को किसी भी विषय पर एक बार अनौपचारिक प्रशिक्षण उनकी क्षमता वर्द्धन के लिए पर्याप्त नहीं हैं वरन उनके साथ सतत् कार्य करने की आवश्यकता है। अतः संस्थानों की नियमित बैठको में भी राजीविका स्टॉफ तथा कम्यूनिटी केडर के व्यक्ति उपस्थित रहकर सदस्यों को व्यवहारिक जानकारी प्रदान करें, इसके सभी प्रशिक्षण में समान भाषा (Uniform !anguage) होगी।
5. जो संस्थान बाह्य सीआरपी दलों द्वारा बनाये गये हैं, उन्हे प्रथम प्रशिक्षण आवश्यक नहीं हैं।
6. प्रशिक्षण से पूर्व संदर्भ व्यक्तियों के लिए जिला स्तर पर एक "प्रशिक्षको का प्रशिक्षण (TOT)" आयोजित कराया जावे। यह दिनांक 18.04.13 को भिजवाये परिपत्र में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार कराया जा सकेगा।
7. जिले में उपखण्डवार प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं उसका कलेण्डर बनाया जावे।
8. प्रशिक्षण के लिए DPMU में उपलब्ध तथा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के उपलब्ध कराये गये Documentary तथा वीडियो क्लिप्स आदि का उपयोग किया जाना भी उचित होगा।
9. प्रशिक्षण के दौरान सदस्यों के बैठने हेतु स्थान, हवा, पानी आदि की समूचित व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

10. प्रशिक्षण स्थल सम्बन्धी निर्देश पूर्व में भिजवाये जा चुके है।
11. संस्थानों के प्रशिक्षण उपरान्त प्रगति विवरण प्रत्येक माह में भिजवायी जाने वाली रिपोर्ट के साथ भिजवाये।
12. **(i)** संस्थान की क्षमता निर्माण के लिए समीपस्थ जिले अथवा उपखण्ड में ही भ्रमण कार्यक्रम भी कराया जा सकेगा। यह कार्यक्रम अधिकतम दो दिवस का होगा।
    (ii) भ्रमण दल में सदस्यो के साथ एक पी.एफ.टी. अथवा डी.पी.एम.यू. सदस्य होगा।
    (iii)भ्रमण कराये जाने वाले स्थान एवं समूह के लिए उस स्थान पर सम्बन्धित स्टॉफ से समन्वय किया जावे।
    (iv) प्रत्येक उत्थान संस्थान से भ्रमण के लिए एक सदस्य को लिया जावे एवं प्रति सदस्य व्यय की अधिकतम सीमा रू. 460/– प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन होगी।
    (v)भ्रमण कराये जाने वाले स्थान पर स्वयं सहायता समूह, उत्थान संस्थान तथा क्षेत्रीय फेडरेशन की बैठक आयोजित कराने पर उन्हें पूर्व में भिजवाये प्रावधान अनुसार राशि देय होगी।
13. नव गठित संस्थान के प्रशिक्षण आयोजन में मितव्ययता एवं वित्तीय नियमों की पालना सुनिश्चित करें।
14. प्रशिक्षण में प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या लगभग 30 हो, जिससे प्रशिक्षण प्रभावी हो और प्रतिभागियों को पर्याप्त जानकारी मिल सके।
15. जिन स्वयं सहायता समूहों तथा ग्राम संगठनों को पूर्व में उपरोक्त में से जो प्रशिक्षण दिये जा चुके है, उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

(सुबीर कुमार) आई.ए.एस.
स्टेट मिशन डायरेक्टर
आजीविका परियोजनाएँ एवं स्वयं सहायता समूह

क्रमांकः प.13 (3)आरजीएवीपी/2013 853-915 **दिनांकः–** 30-12-13.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. श्रीमान जिला क्लेक्टर, समस्त।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
4. वित्तीय सलाहकार, राजीविका।
5. परियोजना निदेशक (एसजीएसवाई/लाइवलीहुड/मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन), एसपीएमयू
6. महाप्रबन्धक, एसपीएमयू समस्त
7. प्रबन्धक, एसपीएमयू समस्त
8. विशेषज्ञ, एसपीएमयू, समस्त
9. जिला परियोजना प्रबन्धक, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद्, समस्त

परियोजना निदेशक
(आजीविका परियोजनाएं एवं स्वयं सहायता समूह)